

## आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख, हस्तक, १९४१ का नियम १२६ )

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 49/2011

बीर बहादुर सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
30.04.2015	<p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश ज्ञापांक 12 मु०, दिनांक 10.02.2011 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 29.01.2011 को पूर्वाह्न 10:30 बजे वीर बहादुर सिंह, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-40/2007, सा०-भदौरा, पंचायत-डेवढी, थाना-तरैया, प्रखंड-तरैया की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (श्री मोइज अंसारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया एवं अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) दुकान बन्द पाई गई।</li> <li>(2) विक्रेता अनुपस्थित थे।</li> <li>(3) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था।</li> <li>(4) विक्रेता के परिवार के सदस्यों के द्वारा भंडार पंजी / वितरण पंजी जांच हेतु उपस्थापित नहीं किया गया।</li> <li>(5) विक्रेता के कुछ उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि 15 रु० की दर से 3 लीटर तेल मिलता है।</li> </ol> <p>उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 632, दिनांक 31.01.2011 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत</p>	



किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता प्रतिदिन समय से अपनी दुकान खोलता एवं बंद करता है। विक्रेता की तबीयत दिनांक 29.01.2011 को अचानक खराब हो गई थी, जिस वजह से डॉक्टर के यहां जाना पड़ा, जिस वजह से दुकान बंद पाई गई। जांच कार्य में असहयोग करने के लिए उसके द्वारा जान बुझ कर दुकान बंद नहीं रखा गया था। चूंकि दुकान की चाभी विक्रेता की जेब में थी, इस लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा दुकान खोलकर भंडार दिखाना और कागजात जॉचार्थ प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका संधारित किया जाता है। जांच की तिथि को भी उसके द्वारा ऐसा किया गया था, लेकिन हो सकता है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा इसे मिटा दिया गया हो। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उद्यव एवं वितरण नियमित रूप से किया जाता है। इनकी दुकान का सभी कागजात अद्यतन है, जिसकी प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था, जिसका सम्यक परिसीलन किए बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। विक्रेता के विरुद्ध शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के बयान के कॉपी भी विक्रेता को उपलब्ध नहीं कराई गई, न ही कारण पृच्छा में उनके नाम का ही उल्लेख किया गया है। जांच के क्रम में कोई भी प्रतिकूल बिन्दु यदि पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसके संबंध में कारण पृच्छा किया जाए, न कि उसे आधार बनाकर कठोर आदेश पारित कर दिया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। यदि किसी कारण वश विक्रेता को कही जाना हो तो इसकी पूर्व अनुमति नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही, निर्धारित कार्य अवधि में दुकान का संचालन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा कराया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के



